हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 05 मार्च 2025, समय 1305 (5 मिनट)

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और प्रदर्शनकारी किसानों के मार्च को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।चंडीगढ़ की पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल ने कहा है कि पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज चंडीगढ़ की ओर मार्च के मद्देनजर चंडीगढ़ की सभी सीमाओं पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग की गई है।

उन्होंने बताया कि पुलिस सभी जगहों पर निगरानी बनाए हुए हैं।

****

पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय की आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। यह पहल मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 समारोह का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

****

हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग के अधिकारियों को गलत तरीके से निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण रद्द करने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।यह निर्णय कल हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया।काबिलेगौर है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल ने श्री अनिल विज से मिलकर उनका पंजीकरण गलत तरीके से रद्द करने की शिकायत की थी। मामले की समीक्षा में सामने आया कि 50,000 निर्माण श्रमिकों के नाम बिना ठोस कारण के पंजीकृत सूची में ब्लॉक किए गए हैं।श्रम मंत्री ने बैठक में कहा कि एक दिन में एक-एक कर्मचारी के द्वारा 2000 निर्माण श्रमिकों का सत्यापन संभव नहीं, इसलिए संलिप्त कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही गलत तरीके से ब्लॉक किए गए नामों की पुनः जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जांच प्रक्रिया पूरी न हो, तब तक किसी भी निर्माण श्रमिक को पंजीकृत सूची से बाहर न किया जाए। उचित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।

****

केन्द्रीय युवा मामले मंत्रालय की सचिव श्रीमती मीता राजीवलोचन की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में "माई भारत पोर्टल" पर अनुभवात्मक शिक्षण अवसरों और युवा भागीदारी गतिविधियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 31 अक्तूबर 2023 को यह पोर्टल जारी किया था। "माई भारत (मेरा युवा भारत) पोर्टल" एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी मंच है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को सशक्त बनाना और राष्ट्र को 2047 तक "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है। यह पोर्टल युवाओं को विभिन्न स्वयंसेवी कार्यक्रमों से जोड़ने का कार्य करता है, जिससे वे समुदाय से जुड़कर विकासात्मक कार्यों में भागीदारी कर सकें और अपने नेतृत्व कौशल का विकास कर सकें बैठक में विभागों से अनुरोध किया गया कि वे ऐसे कार्यक्रमों की पहचान करें, जिनके माध्यम से युवा समुदाय के हित में लाभकारी गतिविधियों में शामिल हो सकें। साथ ही, "माई भारत" मंच की क्षमता को अधिकतम युवाओं तक पहुंचाने के लिए प्रभावी आउटरीच रणनीति विकसित करने पर जोर दिया गया, ताकि वे इस मंच की सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

****

हरियाणा विधान सभा के 7 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सुरक्षा को लेकर आज पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के शीर्ष अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से सत्र के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए चर्चा की। विधानसभा प्रवक्ता ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की समन्वय समिति बनाने के निर्देश दिए। बैठक में तय हुआ कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सत्रावधि के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी।विधान सभा परिसर और उसके आसपास वन्य जीवों से बचाव के लिए प्रबंध करने पर भी चर्चा हुई।सुरक्षा बैठक में सभी मंत्रियों, विधायक, अधिकारी और प्रेस प्रतिनिधियों से विधान भवन में मोबाइल फोन न लाने और यदि लाना बहुत आवश्यक हो तो उसे स्वागतकर्ता के पास जमा करवाने या आवाज बंद रखने का अनुरोध किया गया है।विधानसभा परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के रोष प्रदर्शन की अनुमति नहीं रहेगी।

****

हरियाणा के सभीजिलों में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण" के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत मेंदोनों पक्षों के बीच मामले को निपटाया जाएगा जो लोग न्यायालय में लंबित अपने मामलों को निपटनाचाहते है वे उस न्यायालय में 7 मार्च तक अपने मामले पर विचार करवा सकते हैं। ताकि8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर उसका निस्तारणकिया जा सके।